संख्या-13/2015/208/84-1-15-14 बजट/2013 टी0सी0

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 27 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-3456 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3691/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ब.आ./2014-15, दिनॉक 02.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को विभिन्न मानक मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में हो रही बचतों से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-09-विद्युत देय एवं 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-10- जल कर एवं जल प्रभार के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/274/दस-2015, दिनॉक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

संख्या-13/2015/208(1)/84-1-15 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21-लेखाशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान वित्तीय वर्ष 2014-15

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3456--00-001-06-00-17 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5826	2209	1500	1500	4326
योग-	5826	2209	1500	1500	4326

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3456--00-001-06-00-09 विधुत देय	4350	4830	480	480	4830
3456-00-001-06-00-10 (जलकर एवं जल प्रभार)	5865	6885	1020	1020	6885
योग-	10215	11715	1500	1500	11715

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण -उपरोक्त मद में बचत का मुख्य कारण अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों का रिक्त रहना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय का कारण उक्त मदों में भावी आवश्यकताओं के दृष्टिगत धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0-553/ई-7-274/दस-2015 दिनॉक 25 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2015/208(2)/84-1-15-14(बजट)/2013टी.सी. दिनॉक 27 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।